न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 85/2019

1 कुरड़ाराम पुत्र गणपत।
2 भादर पुत्र माला।
3 शान्ति पत्नी माला समस्त जाति जाट निवासीगण पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बोदुराम पुत्र भगवाना।
2 बजरंगलाल पुत्र भगवाना।
3 बनारसी पुत्री भगवाना समस्त जाति जाट निवासीगण पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3/1 मदन पुत्र बिशनाराम।
3/2 जयपाल पुत्र मदन।
3/3 मेनका पुत्री मदन समस्त जाति जाट निवासीगण गिलो का बास ढ़ाणी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3/4 सन्तरा पत्नी जयनारायण पुत्री मदन जाति जाट निवासी ग्राम हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3/5 गीता पत्नी होशियार सिंह पुत्री मदन।
3/6 बबीता पत्नी हेमन्त उर्फ राजेश पुत्री मदन।
3/7 अनिता पत्नी भगवानाराम पुत्री मदन समस्त जाति जाट निवासीगण गढ़ला कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3/8 सुभिता पत्नी सुनिल पुत्री मदन जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

4 भोला पुत्र जैसा।
4/1 पतासी पत्नी भोला।
4/2 राजेन्द्र पुत्र भोला समस्त जाजि जाट निवासीगण पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4/3 सरिता पुत्री भोला पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 मनभरी पत्नी माला।
6 ताराचन्द पुत्र मूला समस्त जाति जाट निवासीगण पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 सजना पुत्री मूला पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 धर्मपाल दतक पुत्र श्योनारायण।
8/1 मु. विनोद पत्नी धर्मपाल।
8/2 राकेश पुत्र धर्मपाल।
8/3 सरोज पुत्री धर्मपाल।
8/4 अनिता पुत्री धर्मपाल समस्त जाति जाट निवासीगण पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
9 मोतीराम पुत्र झाबर।
10 जगदेवाराम पुत्र झाबर।
11 ख्यालीराम पुत्र झाबर समस्त जाति जाट निवासीगण पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
12 सहायक अभियंता अ.वि.वि.नि.लि. शाखा गुढ़गौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
14 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि विकास शाखा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

15 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू दावा उनवानी
कुल्ड़ा वगैरह बनाम बोदुराम वगैरह दावा बाबत
स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारा मुकदमा नम्बर 181/2009
निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2019

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.04.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 181/2009 मे पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट संख्या 15 के विरूद्व अदालत मातहत के यहां आराजी हाल खसरा नम्बर 838 व 839 सरहद मौजा पोषाणा तहत तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के सम्बंध में दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा हेतु पेश किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा को प्रतिवादी भोला के देहान्त होने पर अबेटमेन्ट के आधार पर अदालत मातहत ने खारिज कर दिया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश 22 जा.दी. के प्रावधानों को समझने में गलती की है। अपीलांट्स के दावा में मुख्य अनुतोष विभाजन का रहा है। प्रकरण में खातेदारी व हक हिस्से को लेकर कोई विवाद नही रहा है। विभाजन के दावा के लिये कानून से कभी भी वादकारण खत्म नहीं होता है अर्थात विभाजन का दावा अबैट नही हो सकता। विभाजन के प्रकरण में तमाम सहखातेदार हितबद्व होते है। एक पक्षकार की मृत्यु होने पर सम्पूर्ण दावा अबैट नही हो सकता और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है। इसी कारण अबैट नही हो सकता। कानून से तकनीकि आधार पर न्याय प्राप्ति से वंचित नही किया जा सकता और तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित करना दण्ड देने के समान है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2014 पेज 700, आर.बी.जे. 1999 पेज 108, ए.आई.आर. 2015 एस.सी. पेज 3573, आर.आर.टी. 2004 पेज 228, आर.बी.जे. 1994 पेज 286 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व बहस के दौरान वकील प्रार्थी/वादी ने यह गलत जाहिर किया है कि उन्हे प्रतिवादी नम्बर 4 भोला के फौत होने बाबत् कोई जानकारी प्रार्थी के पास नहीं थी जबकि प्रतिवादी नम्बर 4 के फौत होने बाबत सूचना प्रतिवादी संख्या 8/1 द्वारा जरिये वकील न्यायालय में दिनांक 12.02.2015 को दी गई थी जिसकी नकल भी वकील प्रार्थी/वादी को दिलाई गई। प्रार्थी कुल्ड़ा ने 4 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे 90 दिन के भीतर पेश करने का भार वकील प्रार्थी/वादी पर था प्रार्थी/वादी कुल्डा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी नम्बर 4 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का मियाद बाहर होने के बावजूद प्रार्थी कुल्डा ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 का प्रार्थना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पत्र पेश नहीं किया है, इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से भी खारिज होने योग्य है। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी नम्बर 4 के समस्त वारिसान का नाम अंकित नहीं किया है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मृतक भोला की पुत्री का नाम अंकित नहीं है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर विधिक प्रकिया अनुसार विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबैटमेंट के आधार पर खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स के दावे में मुख्य अनुतोष विभाजन का रहा है। प्रकरण में खातेदारी व हक हिस्से को लेकर कोई विवाद नही रहा है। विभाजन के दावे के लिये कानून से कभी भी वादकारण खत्म नहीं होता है अर्थात विभाजन का दावा अबैट नही हो सकता। विभाजन के प्रकरण में तमाम सहखातेदार हितबद्व होते है। एक पक्षकार की मृत्यु होने पर सम्पूर्ण दावा अबैट नही हो सकता और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है। इसी कारण अबैट नही हो सकता। कानून से तकनीकी आधार पर न्याय प्राप्ति से वंचित नही किया जा सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (6) 1999 पेज 108 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " **CIVIL PROCEDURE CODE, 1908- ORDER 22 RULE 4 - A suit for division of holding will not abate even though legal representative of the defendant are not brought on record. - The present suit is for devision of holding and not for declaration and injunction in a suit for division of holding parties comes within the purview of exchange for each other. Therefore, suit will not abate, even though legal representative of the defendant are not brought on record. The legal representative can be brought on record at any stage.**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृतक प्रतिवादी संख्या 3 बनारसी व मृतक प्रतिवादी संख्या 4 भोला के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर प्रकरण में विधिक प्रकिया अनुसार गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर